I/106915/2023

17/3/25
1106

MD
18/03/23

ई–फाईल सं0–48224

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

835 SSO-III (P)

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

CE(P)/AAO

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 16 मार्च,2023

17/3/23
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधि०)

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में जी–20 समिट हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र काशीपुर, बाजपुर व जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–कालाढुंगी में विभिन्न 05 निर्माण कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा **संलग्न के अनुसार** उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिनके मोटर मार्गो की कुल लम्बाई 61.726 कि0मी0 एवं लागत रू0 **3297.04** लाख है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 2696.83** लाख **(रू0 छब्बीस करोड़ छियानबे लाख तिरासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय हेतु प्रति कार्य रू0 **0.10** लाख (रू0 दस हजार मात्र) अर्थात 05 कार्य हेतु कुल रू **0.50** लाख (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

SAO(वि-1)
17/3/23
इं0 प्रेम सिंह नबियाल
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।
(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
(ix) विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा

औपचारिक
19.03.23

उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3– **ये आदेश वित्त अनुभाग–2 के कम्प्यूटरजनित कमांक–I/106730/2023 दिनांक 16 मार्च, 2023 में प्रदत्त सहमति के कम में जारी किये जा रहे है।**

<u>संलग्नक –यथोपरि।</u>

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 16-03-2023 17:55:32

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), कौलागढ़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, 4वॉ /2वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर/रामनगर।

गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

E- FILE No- 48224 का संलग्नक

धनराशि लाख रू. में

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	शासन द्वारा अनु. लागत	चालू वित्तीय वर्ष मं अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जी–20 कार्यकम हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में काशीपुर अलीगंज मार्ग के किमी0 5 से 8 में डी0बी0एम0 एवं	4.100	317.29	0.10

	बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एंव सुदृढ़ीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)			
2	जी–20 कार्यक्रम हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर में सरदारनगर बाजपुर केशोवाला बन्नाखेडा बैलपड़ाव कोटाबाग कालाढुंगी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0– 61) के किमी0 20 से 31.600 एवं दोराहा बाईपास में मार्ग का बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य (लम्बाई 14.400 किमी0) (विस्तृत आगणन)	14.400	698.12	0.10
3	जी–20 कार्यक्रम हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर में नैनीताल कालाढुंगी बाजपुर दोराहा राज्य मार्ग संख्या–13 के किमी0 50.00 से 63.226 का बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)	14.226	658.86	0.10
4	रामनगर जनपद नैनीताल में दिनांक 26 से 28 मार्च, 2023 के मध्य प्रस्तावित जी0–20 समिट से संबंधित सी0एस0ए0आर0 कॉन्फ्रेंस हेतु प्रस्तावित मार्ग रामनगर– हल्द्वानी– काठगोदाम –सितारगंज –बिजटी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–41) के किमी0 5 से 8, 10 एवं 12 से 24 में बी0सी0 द्वारा सतह सुधार का कार्य।	18.00	643.75	0.10
5	रामनगर जनपद नैनीताल में दिनांक 26 से 28 मार्च, 2023 के मध्य प्रस्तावित जी0–20 समिट से संबंधित सी0एस0ए0आर0 कॉन्फ्रेंस हेतु प्रस्तावित मार्ग नैनीताल– कालाढुंगी– बाजपुर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–13) के किमी0 39 से 49 में बी0सी0 द्वारा सतह सुधार का कार्य।	11.00	378.81	0.10
	योगः–	61.726	2696.83	0.50

(कुल रू0 पचास हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/106915/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23030220060
आवंटन पत्र दिनांक-16-MAR-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	4220000	50000	0	4270000
योग	4220000	50000	0	4270000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 305 /20 याता0'क'नियो0–1/2023 दिनांक– 19 .03.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय/चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर/रामनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष